

12.2024

फिर्का
15.01.2025

2024/80/

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
जुल्फकार आदि बनाम शरीफ मोहम्मद आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 537 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.12.2024	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.12.2024 को पेश हो।	
30.12.2024	<p>कुलाए फरिदकेन उपखण्ड/PU माहक अफसर हुक्म संख्या 10 दिनांक 27.2.2025 गस्त संख्या 10 दिनांक 27.2.2025 क पेश के इन्सा</p>	
10.01.2025	<p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिलाव पेशी पेश करके पर प्रजावली को पेशी में लिया गया। कुलाए फरिदकेन उपखण्ड/PU माहक अफसर हुक्म संख्या 10 दिनांक 15.01.2025 को पेश हो।</p>	<p>र.ग.। शरीफ मोहम्मद</p>
15.01.2025	<p>कुलाए फरिदकेन उपखण्ड/PU माहक अफसर हुक्म संख्या 10 दिनांक 16.1.2025 गस्त संख्या 10 दिनांक 16.1.2025 क पेश के इन्सा</p>	<p>र.ग.। प्रतीना कबी</p>
16.1.2025	<p>कुलाए फरिदकेन उपखण्ड/PU माहक अफसर हुक्म संख्या 10 दिनांक 16.1.2025 को पेश हो। प्रजावली पर उपखण्ड अफसर द्वारा वकील प्रतीना कबी को-रटमरी के आचार पर वाद की टिप्पणी किया जा रहा है। प्रतीना कबी सहित फिर्का अलग से लिखापण अफसर शाहिल फरिदकेन द्वारा प्रजावली अफसर के कक्ष की जाकर आद तस्वीर अफसर शाहिल फरिदकेन को पेश हो।</p>	